



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 548 राँची, मंगलवार 13 श्रावण, 1937 (श०)  
4 अगस्त, 2015 (ई०)

---

#### नगर विकास विभाग

-----

शुद्धि पत्र  
28 जुलाई, 2015

संख्या-4/न0वि0/गठन/138/2014-2666--विभागीय अधिसूचना संख्या-624, दिनांक 23 फरवरी, 2015 (गजट अधिसूचना संख्या-114, दि.-27 फरवरी, 2015) द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के आलोक में रामगढ़ छावनी परिषद् की परिधि से बाहरी क्षेत्रों को मिलाकर रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') का गठन किया गया है।

उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-1096, दिनांक-10 अगस्त, 2013 द्वारा उक्त निकाय के गठन हेतु उपलब्ध कराये गये आँकड़ों एवं पत्रांक-298, दि.-04 दिसम्बर, 2013 द्वारा रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') के गठन हेतु की गयी अनुशंसा के आलोक में उपर्युक्त अधिसूचना निर्गत की गयी थी।

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-623, दिनांक-18 मार्च, 15 द्वारा रामगढ़ अंचल के हेसला (थाना संख्या-30) ग्राम की जनसंख्या-4,451 के स्थान पर रामगढ़ अंचल के हेसला ग्राम (थाना-171) की जनसंख्या-2,535 एवं माण्डू अंचल के ग्राम रौता (थाना संख्या-110) की जनसंख्या-440 के स्थान पर 952 (थाना संख्या-146) किये जाने का अनुशंसा की गयी है।

कालक्रम में उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-116 दिनांक-16 अप्रैल, 15 एवं पत्रांक-153, दिनांक-08 मई, 15 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के कथन की सम्पुष्टि की गयी है। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-172, दिनांक-23 मई, 2015 द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल राजस्व ग्राम हेसला (थाना संख्या-171) जनसंख्या-2,535 , क्षेत्रफल-1290.17 एकड़ तथा राजस्व ग्राम रौता (थाना संख्या-146) जनसंख्या-952, क्षेत्रफल-979.79 एकड़ है, जो सही है। उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में जनसंख्या त्रुटिपूर्ण थी, जबकि क्षेत्रफल सही था।

पुनः उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-232, दिनांक-15 जुलाई, 2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत अधिसूचित नगर परिषद (वर्ग-'क') में ग्राम पंचायत घुट्टवा को सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायत घुट्टवा अंतर्गत दो राजस्व ग्राम यथा- घुट्टवा एवं उरलुंग है, जिसमें राजस्व ग्राम घुट्टवा को शामिल किया जा चुका है।

राजस्व ग्राम उरलुंग, थाना सांख्या-78, जिसकी जनसंख्या जनगणना-2011 के अनुसार 587 मात्र है, को नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल नहीं किया गया है। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम उरलुंग, थाना संख्या-78 को रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिसूचना संख्या-624, दिनांक-23 फरवरी, 2015 (गजट अधिसूचना संख्या-114, दिनांक-27 फरवरी, 2015) में निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है:-

- (i) रामगढ़ अंचल के क्रमांक-6 पर दर्ज "हेसला ग्राम (थाना सं.-30) की जनसंख्या- 4,451" के स्थान पर "रामगढ़ अंचल के हेसला ग्राम (थाना संख्या-171) की जनसंख्या-2,535" पढ़ा जाय।
- (ii) "रामगढ़ अंचल की कुल जनसंख्या-23,700" के स्थान पर "रामगढ़ अंचल की कुल जनसंख्या- 22,371" पढ़ा जाय।

- (iii) माण्डू अंचल के क्रमांक-2 पर अंकित "ग्राम रौता (थाना-110) की जनसंख्या-440" के स्थान पर "ग्राम रौता (थाना संख्या-146) की जनसंख्या-952" पढ़ा जाय।
  - (iv) "माण्डू अंचल, जिसका शहरीकरण हो चुका है, की कुल जनसंख्या-13,180" के स्थान पर "माण्डू अंचल की कुल जनसंख्या-13,692" पढ़ा जाय।
  - (v) रामगढ़ अंचल में ग्राम पंचायत घुट्टवा अंतर्गत राजस्व ग्राम उरलुंग को रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल किया जाता है।
  - (vi) रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') एक झलक में, वैसे क्षेत्र, जिनका शहरीकरण हो चुका है:- में "रामगढ़ अंचल, पतरातू अंचल एवं माण्डू अंचल की कुल जनसंख्या-58,468" के स्थान पर "रामगढ़ अंचल, पतरातू अंचल एवं माण्डू अंचल की कुल जनसंख्या-57,651" पढ़ा जाय।
  - (vii) "रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') की कुल जनसंख्या-1,24,692" के स्थान पर "रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग 'क') की कुल जनसंख्या-1,23,875" पढ़ा जाय।
  - (viii) रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') का कुल क्षेत्रफल '36,941.53 एकड़' के स्थान पर '37,304.62 एकड़' पढ़ा जाय।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-624, दि.-23 फरवरी, 2015 (गजट अधिसूचना संख्या-114, दि.- 27 फरवरी, 2015) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
  3. शुद्धि पत्र प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
  4. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,  
**अरुण कुमार सिंह,**  
 सरकार के प्रधान सचिव।

-----